श्यामलाल बनाम सरकार
प्रकरण संख्या : 20 / 2019
निर्णय दिनांक : 21.09.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 20 / 2019 दर्ज तिथि : 31.01.2019

श्री श्यामलाल पिता सोहनलाल जाति कुम्हार आयु 46 वर्ष निवासी लूणखन्दा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.

................प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राज.

...............विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री लक्ष्मणसिंह सोलंकी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि : 21.09.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम लूणखन्दा, पटवार हल्का, मेलाना की खसरा संख्या 1396 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि जिसके पडौसियान पूर्व में श्यामलाल पिता काशीराम धाकड की आराजियात व आम रास्ता, पश्चिम में सरकारी चरनोट व नर्सरी, उत्तर में मूल इसी आराजियात की जमीन व दक्षिण में श्यामलाल पिता काशीराम धाकड की आराजियात के बीच स्थित होकर जब से प्रार्थी के पिता सोहनलाल को सन् 1972 में आवंटित हुई थी तब से काबिज होकर शांतिपूर्ण रूप से काश्त करते चले आ रहे है। यह कि सेटलमेन्ट के समय सहवन से राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी की आराजियात दक्षिण दिशा में थी जिसे नक्शे में उत्तर दिशा में इन्द्राज कर दी जहां नक्शे में इन्द्राज है उस जगह प्रार्थी काबिज नहीं है लेकिन पूर्व में यह पूरा नम्बर एक ही था जिसमें अन्य लोगों की आराजी भी और सरकारी आराजियात भी है जहां नक्शे में गलत जगह इन्द्राज हैं जिसे दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र में उपर वर्णित पडौसियों के बीच सही जगह जहां प्रार्थी का कब्जा है वहीं [illegible] जाने का प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेडा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में जहां प्रार्थी काबिज है उस भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने एवं नक्शे में आवश्यक तरमीम करवाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम

लूणखन्दा की जमाबंदी संवत 2077–2080 में अंकित आराजी नम्बर 1396 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसके गत भू–प्रबन्ध में आराजी नम्बर 1147/967 रकबा 4 बीघा थे, जिसकी गत भू–प्रबन्ध के मूल नम्बर 967 में कोई तरमीम नहीं है। यह कि वादी का कब्जा व गत एवं वर्तमान नक्शा का मिलान किया जिसमें वादी का गत आराजी नम्बर 1147/967 जिसके नवीन आराजी नम्बर 1396 बने है। जिस पर ही वादी का कब्जा पत्थर कोट व तारबन्दी करके कर रखा है। यह कि वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये पडौस के मध्य की भूमि पर कब्जा नहीं होकर कब्जे की बताई गई भूमि बांध के डूब क्षेत्र के अन्दर है। जिसका साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज साथ संलग्न नहीं किया है। राजस्व रेकार्ड वर्तमान व गत अनुसार वादी की रिकार्डेड कब्जाशुदा भूमि सही है। अन्य जगह बतायी भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है। इसलिए वाद काबिल खारीज है। रिपोर्ट के साथ मिलान क्षेत्रफल, गत नक्शा, वर्तमान नक्शा, वर्तमान जमाबंदी नकल गत भू–प्रबन्ध जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की गई।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम लूणखन्दा की जमाबंदी संवत 2077–2080 में प्रार्थी के नाम [illegible]जी नम्बर 1396 रकबा 0.87 हैक्टेयर भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इस [illegible]राजी के चारों ओर पत्थर की कोट एवं तारबंदी की हुई है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र [illegible]कित जिन पडोसियान के मध्य अपना कब्जा होना जाहिर किया है वो जगह [illegible] बांध के अन्दर की डूब क्षेत्र की होकर वर्तमान में उक्त भूमि में [illegible] प्रार्थी ने डूब क्षेत्र में अपने कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा होने एवं प्रार्थी द्वारा बताये गये पडोसियान के मध्य प्रार्थी का कब्जा नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक एवं वर्तमान रिकॉर्ड से साबित नहीं होने तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य तहसीलदार, निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट से आधारहीन साबित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

21/9/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:01 IST
Reason: SelfAttested